[2021] 9 एस. सी. आर 765

भागचंदर

बानाम

मध्य प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील सं। 255-256 2018 का)

09 दिसंबर, 2021

[एल. नागेश्वर राव, बी. आर. गवई और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860s। 302 आर/डब्ल्यू। s.201 और 506-B-अभियोजन

भतीजा-अपीलार्थी का अपने दोनों के साथ संपत्ति विवाद था। भाइयों-घटना के दिन, पीडब्लू-1-शिकायतकर्ता के पास गया था

प्रकृति के आह्वान पर ध्यान दें-लौटते समय उसने अपीलार्थी को देखा कुल्हाड़ी से लैस होकर अपने घर से बाहर निकल रही थी-जब वह अंदर गई

अपने घर में उसने अपने बहनोई को बाहर के कमरे में मृत पड़ा देखा बेटा मर चुका है, उसकी गर्दन और सिर पर चोटें हैं-उसने पीछा किया क्षेत्र की ओर अपीलार्थी-उसने अपीलार्थी को उसके साथ दुर्व्यवहार करते देखा

दूर चला गया और उसे धमकी दी-उसके पति की भी मौत हो गई-उसके दो अन्य घर में बच्चे (पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3), जिन्होंने घटना देखी, भाग गए।

सदन से-विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को अपराधों के लिए दोषी ठहराया s.302 r/w। s.201 और s। 506 बी आई. पी. सी. और उसे मौत की सजा सुनाई

- उच्च न्यायालय द्वारा उनकी मौत की सजा की पुष्टि की गई-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: पीडब्लू-1 के साक्षय से यह स्पष्ट है कि उसने व्यक्तिगत रूप से

अपीलार्थी ने मृतक पति पर हमला किया-पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 के साक्षय से यह और स्पष्ट है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से

अपीलार्थी ने अपने भाई और चाचा पर हमला किया - इन तीन गवाहों के साक्षय की दूसरे द्वारा विधिवत पुष्टि की जाती है।

गवाह-पीडब्लू 4,5 और 6 ने पीडब्लू-1-पीडब्लू-6 की गवाही की पुष्टि की-पीडब्लू-2 और 3 की पुष्टि की-के अवलोकन पर

समग्र रूप से गवाहों का साक्षय, सबूत ठोस, विश्वसनीय है और भरोसेमंद-जहाँ तक मृत्युदंड का संबंध है,

निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने केवल इस पर विचार किया है

अपराध पर विचार किया है लेकिन ध्यान में नहीं रखा है अपराधी, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि आदि -

अपीलार्थी ग्रामीण और आर्थिक रूप से गरीब व्यक्ति से आता है।

पृष्ठभूमि-कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है अपीलार्थी को कठोर अपराधी नहीं कहा जा सकता है-यह अपीलार्थी द्वारा किया गया पहला अपराध है-जेल अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र से पता चलता है कि कारावास के दौरान अपीलार्थी का आचरण संतोषजनक था-यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी के सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है -

इसलिए, अपीलार्थी को दी गई मौत की सजा को 30 साल की अवधि के लिए आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. यह देखा जा सकता है कि क्या होना आवश्यक है

इस बात पर विचार किया जाता है कि क्या गवाह के साक्षय को समग्र रूप से पढ़ा जाए तो इसमें सच्चाई का घेरा प्रतीत होता है। यह माना गया है कि नाबालिग

मामूली मामलों पर विसंगतियां जो मामले के मूल को नहीं छूती हैं, साक्षय से यहाँ या वहाँ संदर्भ से फाड़े गए वाक्यों को लेकर अति-तकनीकी दृष्टिकोण, आम तौर पर साक्षय को समग्र रूप से अस्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियोजन पक्ष के साक्षय यहाँ विसंगतियों से ग्रस्त हो सकते हैं और वहाँ विसंगतियाँ हैं, लेकिन यह

एक कमी है जिससे कोई भी आपराधिक मामला मुक्त नहीं है। यह देखना महत्वपूर्ण है कि क्या वे विसंगतियां मामले की जड़ तक जाती हैं या इसके महत्वहीन पहलुओं से संबंधित हैं। यह माना गया है कि अवलोकन की सामान्य त्रुटियों, समय बीतने के कारण स्मृति की सामान्य त्रुटियों, मानसिक स्वभाव के कारण, घटना के समय सदमे और भय के कारण हमेशा सामान्य विसंगतियां होती हैं। प्रत्येक मामले में झूठ को सच्चाई से अलग करना अदालत का कर्तव्य है।

[पैरा 31] [779-ई-एच; 780-ए]

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। कृष्णा मास्टर और अन्य (2010)

12 एससीसी 324: [2010] 9 एससीआर 563-पर निर्भर।

2. इस न्यायालय का विचार है कि मामूली विसंगतियाँ

अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्षय ऐसी प्रकृति के नहीं हैं जो इस न्यायालय को उनकी गवाही पर अविश्वास करने के लिए राजी करे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गवाह देहाती ग्रामीण हैं और उनके बयानों में कुछ विसंगतियां होना तय है। [पैरा 32] [780-ए-बी]

3. इस न्यायालय ने माना है कि देहाती गवाहों के मामले में कुछ विसंगतियां और विसंगतियां पाई जानी तय हैं। इसमें है।

अभिनिर्धारित किया गया कि गवाहों के साक्षय में विसंगतियाँ भागचंद्र बनाम।

मध्य प्रदेश राज्य

इसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं उड़ाया जाना चाहिए। ऐसा करने का अर्थ है ग्रामीण जीवन की कठोर वास्तविकताओं को नजरअंदाज करना और अभियुक्त को अनुचित लाभ देना। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे गवाहों के साक्षय की समग्र रूप से सराहना की जानी चाहिए। एक देहाती गवाह से घटना के हर छोटे से विवरण और जिस तरह से घटना हुई थी, उसे याद रखने की उम्मीद नहीं की जाती है। इसके अलावा, एक गवाह को अपने करीबी रिश्तेदारों की असामयिक मृत्यु के सदमे का सामना करना पड़ता है। गवाहों के साक्षय को समग्र रूप से देखने पर, इस न्यायालय का विचार है कि उनका साक्षय ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद है। [पैरा 34] [780-जी-एच; 781-ए-बी]

4. जहाँ तक अपीलार्थी के इस तर्क का संबंध है कि चिकित्सा साक्षय अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करता है,

चश्मदीद गवाहों का नेत्र साक्षय ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद होता है। इसके अलावा, पीडब्लू 1,2 और 3 की गवाही में मौखिक संस्करण की चोटों से विधिवत पुष्टि होती है जैसा कि मृतक व्यक्तियों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दिखाया गया है। अत: इस संबंध में तर्क अस्वीकार किए जाने योग्य है।

[पैरा 36] [782-ए-बी]

5. चूँकि वर्तमान मामला प्रत्यक्ष साक्षय का मामला है, भले ही अभियोजन पक्ष दूसरे अपराध को साबित करने में विफल रहा हो

गवाह। [पैरा 38] [782-सी-डी] 6. मामले के उस दृष्टिकोण में, इस न्यायालय का विचार है कि साक्षय के पुनर्मूल्यांकन पर भी, यह नहीं हो सकता है

अपीलार्थी और उच्च न्यायालय ने इसकी पुष्टि की। [पैरा 39] [782-ई] 7. निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय के फैसले से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि निचली अदालतों ने एक

कम करने और बिगड़ने वाली परिस्थितियों की बैलेंस शीट। निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने केवल इस पर विचार किया है

अपराध पर विचार करें लेकिन अपराधी, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि आदि को ध्यान में नहीं रखा है। [पैरा 43] [784-सी-डी] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2021] 9 एस सी आर।

8. तय कानूनी स्थिति को देखते हुए, यह हमारा बाध्य कर्तव्य है कि हम अभियुक्त की संभावना को ध्यान में रखें।

सुधार और पुनर्स्थापित किया जा रहा है। न केवल अपराध बल्कि अपराधी, उसकी मानसिक स्थिति और उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को भी ध्यान में रखना हमारा कर्तव्य है। मृतक और साथ ही अपीलार्थी देहाती ग्रामीण हैं। संपत्ति विवाद में,

अपीलार्थी अपने दो भाई-बहनों और एक भतीजे के साथ भाग गया है। राज्य ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं रखा है कि दोषी के सुधार या पुनर्वास के संबंध में कोई संभावना

नहीं है। अपीलार्थी ने अपीलार्थी के बेटे और अपीलार्थी के भतीजे के हलफनामे और जेल अधीक्षक, केंद्रीय जेल, जबलपुर की रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड में रखा है। अपीलार्थी ग्रामीण और आर्थिक रूप से गरीब पृष्ठभूमि से आता है। कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। अपीलार्थी को कठोर अपराधी नहीं कहा जा सकता है। यह पहला अपराध है जो

अपीलार्थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, एक जघन्य व्यक्ति। द्वारा जारी प्रमाण पत्र

जेल अधीक्षक दर्शाता है कि कारावास के दौरान अपीलार्थी का आचरण संतोषजनक रहा है। 9. इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी के सुधार किए जाने और पुनर्वासित किए जाने की कोई संभावना नहीं है, जिसमें कम सजा के वैकल्पिक विकल्प को बंद कर दिया जाए और मौत की सजा को अनिवार्य बनाया जाए। द.

आई. पी. सी. की धारा 302,201 और 506-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है। हालांकि, अपीलार्थी को दी गई मौत की सजा को परिवर्तित कर दिया जाता है

30 वर्ष की अवधि के लिए आजीवन कारावास। [पारस 44 और 46] [785-डी-जी; 786-ए-बी]

मोहम्मद. मन्नान उर्फ अब्दुल मन्नान बनाम। बिहार राज्य (2019) 16 एससीसी 584: [2019] 8 एस. सी. आर. 266; मोफिल खान और एक अन्य बनाम झारखंड राज्य आर. पी. (आपराधिक) सं. आपराधिक अपील में No.1795/2009 दिनांक 26.11.2021; राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम। की स्थिति
महाराष्ट्र (2019) 12 एससीसी 460: [2018] 14 एससीआर 585

- पर भरोसा किया।
कृष्णन और एक अन्य वी। राज्य का प्रतिनिधित्व निरीक्षक द्वारा किया जाता है

पुलिस (2003) 7 एस. सी. सी. 56: [2003] 1 पूरक। एससीआर 771; प्रताप सिंह और एक अन्य बनाम। मध्य प्रदेश राज्य

(2005) 13 एस. सी. सी. 624: [2005] 5 पूरक। एस. सी. आर. 439; मोहम्मद अजमल मोहम्मद आमिर कसाब उर्फ अबू भागचंदर बनाम।

मध्य प्रदेश राज्य

मुजाहिद बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2012) 9 एससीसी 1:

[2012] 8 एस. सी. आर. 295; दयानिधि बिसोई बनाम। उड़ीसा राज्य (2003) 9 एस. सी. सी 310: 2003 एयर 3915; मोहम्मद। आरिफ उर्फ

अशफाक बनाम। पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और अन्य

(2014) 9 एससीसी 737: [2014] 11 एससीआर 1009; आर. शाजी बनाम।

केरल राज्य (2013) 14 एस. सी. सी. 266: [2013] 3 एससीआर

1172 ; रम्मी उर्फ रामेश्वर बनाम। मध्य राज्य

प्रदेश (1999) 8 एससीसी 649: [1999] 3 पूरक। एससीआर 1; रवि पुत्र अशोक घुमरे बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2019)

9 एससीसी 622: [2019] 15 एस. सी. आर. 712; बचन सिंह बनाम राज्य

पंजाब (1980) 2 एस. सी. सी. 684: 1980 एयर 898; माछी सिंह और अन्य बनाम। पंजाब राज्य (1983) 3 एस. सी. सी 470

: [1983] 3 एस. सी. आर. 413 संदर्भित है।

मामला

कानून संदर्भ

[2005] 5 पूरक। एससीआर 439

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[2012] 8 एससीआर 295

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

[2014] 11 एससीआर 1009

पैरा 15

संदर्भित किया गया है

[2003] 1 पूरक। एससीआर 771

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[2013] 3 एससीआर 1172

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[1999] 3 पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[2019] 15 एससीआर 712

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

[2010] 9 एससीआर 563

संदर्भित किया गया है

पैरा 30

[2019] 8 एससीआर 266

उस पर भरोसा करें

पैरा 41

[1983] 3 एससीआर 413

संदर्भित किया गया है

पैरा 41

[2018] 14 एससीआर 585

उस पर भरोसा करें

पैरा 43

आपराधिक अपील

न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

नं. 255-256 2018 से।

उच्च न्यायालय के 19.12.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 के सी. आर. आर. एफ. सी. No.03 और 2017 के आपराधिक अपील No.1684 में जबलपुर में मध्य प्रदेश में न्यायिक कार्य।

एन. हरिहरन, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री शिवानी मिश्रा, सुश्री प्रतीक्षा भास्कर,

वरुण देसवाल, वैभव शर्मा, सिद्धार्थ सिंह यादव, प्रतीक भल्ला, सुश्री पुण्य रेखा अंगारा, सुश्री श्रीदेवी पणिक्कर, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

[2021] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, ए. ए. जी., सनी चौधरी, शांतनु सिंह, सुश्री सौम्या कपूर, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. अपीलार्थी ने आपराधिक मामले में जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित 19 दिसंबर 2017 के फैसले और आदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। 2017 की अपील सं. 1684, जिससे 4 अप्रैल 2017 के दूसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (जिसे इसके बाद "विचारण न्यायाधीश" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देने वाली अपीलकर्ता द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया गया, जिसके अनुसार अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसके बाद "आई. पी. सी". के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 201 और धारा 506-बी के साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। ट्रायल जज ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा (3 गिनती) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मौत की सजा और आई. पी. सी. की धारा 201 और 506-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। ट्रायल जज ने 2017 की सी. आर. आर. एफ. सी. संख्या 03 का भी उच्च न्यायालय में उल्लेख किया है।

मृत्युदंड की पुष्टि के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 366 (इसके बाद "Cr.P.C" के रूप में संदर्भित) के तहत। विवादित फैसले और आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने मौत की सजा की पुष्टि की।

2. अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है:

अपीलार्थी-भागचंद्र मृतक ठाकुर का असली भाई है।

दास और मृतक देवकी प्रसाद। मृतक अखिलेश मृतक देवकी प्रसाद के पुत्र थे और अपीलार्थी के भतीजे थे। पीडब्लू 1-किरण पटेल मृतक देवकी प्रसाद की पत्नी हैं। पीडब्लू-2-उर्मिला और पीडब्लू-3-कमलेश मृतक देवकी प्रसाद और किरण पटेल (पीडब्लू-1) की बेटी और बेटा हैं।
3. मृतक देवकी प्रसाद अपने भाई मृतक ठाकुर दास, अपनी पत्नी पीडब्लू-1-किरण पटेल, बेटी पीडब्लू-2-उर्मिला, बेटे पीडब्लू-3-कमलेश, मृतक अखिलेश और अपीलार्थी की मां किसियाबाई के साथ पुर गाँव में रहता था।

4. यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि 11 अक्टूबर 2015 की दुर्भाग्यपूर्ण सुबह लगभग 05.00-05.30 बजे, शिकायतकर्ता-किरण पटेल

(पीडब्लू-1) प्रकृति के आह्वान में भाग लेने गए थे। लौटते समय, उसने अपीलार्थी को कुल्हाड़ी से लैस अपने घर से बाहर निकलते देखा।

यह भागचंद्र बनाम है। मध्य प्रदेश राज्य [बी. आर. गवई, जे.]

अभियोजन पक्ष का मामला है कि एक ओर अपीलार्थी और दूसरी ओर मृतक ठाकुर दास और मृतक देवकी प्रसाद के बीच पूर्व शत्रुता थी। इसलिए उसे किसी गड़बड़ी का संदेह था। घर में प्रवेश करने के तुरंत बाद, उसने ठाकुर दास को खून से लथपथ मृत अवस्था में देखा और उसकी गर्दन शरीर से अलग हो गई थी। उन्होंने आंगन में अपने बेटे अखिलेश को भी मृत पाया। अभियोजन पक्ष का मामला है कि मृतक देवकी प्रसाद रात में अपने खेत में फसलों की रक्षा करने गए थे। उसके साथ कुछ होने का संदेह होने पर, पीडब्लू-1 उसकी ओर दौड़ा। खेत जो घर के पास था। उसने अपीलार्थी को अपने पति देवकी प्रसाद पर कुल्हाड़ी से हमला करते देखा। उसने अपीलार्थी को रोकने की कोशिश की लेकिन उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। इस बीच, रिश्तेदार और पड़ोसी मौके पर जमा हो गए थे।

5. घटना के तुरंत बाद, किरण पटेल (पीडब्लू-1) द्वारा पुलिस स्टेशन, महाराजपुर में दी गई मौखिक शिकायत के आधार पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (इसके बाद "एफ. आई. आर". के रूप में संदर्भित) दर्ज की गई। जाँच के बाद, संबंधित अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया जिसने मामले को सत्र न्यायाधीश को सौंप दिया।

6. निचली अदालत के न्यायाधीश ने अपीलार्थी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 272 (3 गणना), 201 और 506 भाग-2 के तहत आरोप तय किए। अपीलार्थी ने सभी आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया था किरण पटेल (पीडब्लू-1) संपत्ति हड़पने के लिए।

7. विचारण के समापन पर, विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को उन अपराधों को करने का दोषी पाया जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया था और इस प्रकार,

जैसा कि ऊपर बताया गया है, दिए गए वाक्य। निचली अदालत ने 2017 की सी. आर. आर. एफ. सी. संख्या 03 के बारे में भी उच्च न्यायालय को निर्देश दिया।

उत्तरदाता-राज्य। 10. श्री हरिहरन प्रस्तुत करेंगे कि अपीलार्थी के खिलाफ पूरा मामला मनगढ़ंत है और इसे [2021] 9 एस. सी. आर. के कहने पर तैयार किया गया है।

किरण पटेल (पीडब्लू-1)। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए साक्षय अभियुक्त-अपीलार्थी के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित नहीं करते हैं।

11. विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि सबसे पहले, घटना का समय जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दिखाया गया है, स्वयं संदिग्ध है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि तीनों मृतक व्यक्तियों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलेगा कि मृत व्यक्तियों के पेट में अर्ध-पचाया हुआ भोजन पाया गया था। इसलिए उन्होंने कहा कि मृत्यु हुई होगी।

उनके अंतिम भोजन के लगभग 3 से 4 घंटे बाद। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर लाए गए साक्षय से यह पता चलेगा कि मृतक देवकी प्रसाद लगभग 09.00 बजे मैदान के लिए रवाना हो गए थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इसलिए मृतक ने लगभग 09.00 बजे अपना भोजन किया होगा। इस प्रकार, मृत्यु 12.00 आधी रात और 01.00 सुबह के बीच हुई है।

12. उन्होंने आगे कहा कि इसमें भौतिक विरोधाभास हैं।

पीडब्लू-1-किरण पटेल, पीडब्लू-2-उर्मिला और पीडब्लू-3-कमलेश की गवाही। उन्होंने कहा कि पीडब्लू-1 का आचरण भी अप्राकृतिक है। उसने कहा है कि प्रकृति की पुकार का जवाब देते हुए उसने घर का दरवाजा बंद करने के लिए कुंडी लगा दी थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आम तौर पर एक व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा ऐसी हरकत। उन्होंने आगे कहा कि पीडब्लू-7-राकेश विश्वकर्मा का साक्षय पूरी तरह से अप्राकृतिक है। पीडब्लू-7 के साक्षय से यह स्पष्ट है कि हालाँकि उसने घटना देखी है, लेकिन उसने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी है, जो गाँव में बहुत उपलब्ध थी। उन्होंने केवल पीडब्लू-6-कमलेश पटेल पुत्र गुलाबचंद्र पटेल (सुविधा के लिए, जिसे इसके बाद "कमलेश-II" के रूप में संदर्भित किया गया है) को सूचित किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह स्पष्ट है कि पीडब्लू-7 एक परिचय गवाह है।

13. श्री हरिहरन ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष ने

सबसे महत्वपूर्ण गवाह यानी किसियाबाई, मृतक ठाकुर दास और देवकी प्रसाद की माँ के साथ-साथ अपीलार्थी को रोक दिया, हालांकि उनकी बयान धारा 161 Cr.P.C के तहत दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि चूंकि अभियोजन पक्ष ने एक महत्वपूर्ण गवाह को रोक दिया है, इसलिए अभियोजन पक्ष के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, इस संबंध में, प्रताप सिंह और अन्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है। मध्य प्रदेश राज्य 1.

14. विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि धारा 27 के तहत अपीलार्थी के ज्ञापन पर कुल्हाड़ी की तथाकथित वसूली

भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 (इसके बाद "साक्षय" के रूप में संदर्भित)

1 (2005) 13 एस. सी. सी. 624 भागचंद्र बनाम।

मध्य प्रदेश राज्य [बी. आर. गवई, जे.]

अधिनियम ") की भी कोई प्रासंगिकता नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सबसे पहले, सीरोलॉजी रिपोर्ट अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ज्ञापन पर वसूली केवल तभी प्रासंगिक होगी जब अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने की स्थिति में हो कि बरामद की गई वस्तु का उपयोग अपराध में किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करने वाली सीरोलॉजी रिपोर्ट के अलावा, उक्त कुल्हाड़ी किसी भी गवाह को यह स्थापित करने के लिए नहीं दी गई है कि यह वही हथियार था जिसका उपयोग अपराध में किया गया था।

15. श्री हरिहरन प्रस्तुत करेंगे कि निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अपने सही परिप्रेक्षय में साक्षय पर विचार नहीं किया है।

उन्होंने कहा कि साक्षय पर पूरी तरह से गलत तरीके से विचार किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यद्यपि यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है, चूंकि यह मामला मृत्युदंड से संबंधित है, इसलिए यह आवश्यक है कि इस न्यायालय को पूरे साक्षय की फिर से सराहना करनी चाहिए। वह मोहम्मद अजमल मोहम्मद आमिर कसाब उर्फ अबू मुजाहिद बनाम के मामलों में इस अदालत के फैसलों पर निर्भर करता है। महाराष्ट्र राज्य 2, दयानिधि बिसोई बनाम। उड़ीसा राज्य 3 और मोहम्मद। आरिफ उर्फ अशफाक बनाम। पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और अन्य।

16. श्री हरिहरन ने वैकल्पिक रूप से कहा कि वर्तमान मामले के तथ्यों में किसी भी परिस्थिति में मृत्युदंड की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले, निचली अदालत ने उसी दिन मौत की सजा सुनाई है जिस दिन दोषसिद्धि दर्ज की गई थी। वह.

प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को दोषसिद्धि के आदेश और सजा के बीच पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था ताकि अपीलार्थी ने परेशान करने वाली और कम करने वाली परिस्थितियों को इंगित करने के अपने अधिकार का लाभ उठाया हो। उन्होंने आगे कहा कि निचली अदालतें भी इस बात को ध्यान में रखने में विफल रही हैं कि आरोपी एक कठोर अपराधी नहीं था। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और यह उसका पहला अपराध था। उन्होंने आगे कहा कि निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के सुधार की संभावना पर विचार

नहीं किया है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि मौत की सजा के तथ्यों और परिस्थितियों में बिल्कुल भी वारंट नहीं है

वर्तमान मामला। 17. श्रीमती. इसके विपरीत, चतुर्वेदी ने कहा कि नीचे की दोनों अदालतों ने अपीलार्थी को सही तरीके से दोषी ठहराया है और मौत की सजा भी सुनाई है।

उन्होंने कहा कि गवाहों के साक्षय में मामूली विसंगतियां हैं

2 (2012) 9 एससीसी 1 3 (2003) 9 एस. सी. सी 310

इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जब अदालत द्वारा नेत्र साक्षय को ठोस, भरोसेमंद और विश्वसनीय पाया गया है, तो चिकित्सा साक्षय में कुछ विसंगतियां प्रासंगिक नहीं होंगी। वह कृष्णन और एक अन्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर करती है। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व 3 से

उक्त विवाद का दावा करें। उन्होंने आगे कहा कि केवल इसलिए कि सीरोलॉजी रिपोर्ट निर्णायक नहीं है, यह अभियोजन पक्ष के मामले पर अविश्वास करने का आधार नहीं हो सकता है। उक्त प्रस्ताव के लिए, वह आर. शाजी बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर करती है। केरल राज्य "। 18. श्रीमती. चतुर्वेदी ने पीडब्लू-7-राकेश के साक्षय के बारे में चुनौती का सामना करने के लिए प्रस्तुत किया कि किसी स्थिति के लिए एक गवाह की प्रतिक्रिया व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न हो सकती है। उसने कहा कि केवल इसलिए कि पीडब्लू-7-राकेश ने पहले पीडब्लू-6-कमलेश को सूचित किया है, जो पुलिस को सूचित करने से पहले था, इससे उसकी गवाही पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके लिए, वह रम्मी उर्फ रामेश्वर बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर करती है। मध्य प्रदेश राज्य '।

19. उन्होंने आगे कहा कि हत्या की क्रूरता को ध्यान में रखते हुए, जिसमें तीन रक्त रिश्तेदारों को हटा दिया गया है

क्रूर हमला और इस तरह, निचली अदालत ने मौत की सजा को सही ठहराया है और उच्च न्यायालय ने इसकी सही पुष्टि की है। वह रवि पुत्र अशोक घुमरे बनाम के मामले में इस

न्यायालय के फैसले पर निर्भर करती है। महाराष्ट्र राज्य 3. 20. श्री हरिहरन ने जवाब में कहा कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, प्रासंगिक सामग्री को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है

न्यायालय एहि बात पर विचार करैत अछि कि मृत्युदंड देल जाय वा नहि। उन्होंने प्रस्तुत किया कि तदनुसार, अपीलार्थी के करीबी रिश्तेदारों का एक हलफनामा रिकॉर्ड में रखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि जेल प्राधिकरण से प्रमाण पत्र भी रिकॉर्ड में रखा गया है जो दिखाएगा कि अपीलार्थी का आचरण संतोषजनक है, नहीं।

21. पक्षों के विद्वान वकील की सहायता से, हमने अभिलेख पर रखी गई सामग्री की जांच की है। 5 (2003) 7 एससीसी 56

6 (2013) 14 एससीसी 266 1 (1999) 8 एससीसी 649

8 3 (2019) 9 एस. सी. सी. 622 भागचंद्र बनाम।

मध्य प्रदेश राज्य [बी. आर. गवई, जे.]

22. पीडब्लू-1-किरण पटेल मृतक देवकी प्रसाद की पत्नी हैं। उसने अपने साक्षय में कहा है कि घटना की तारीख को, लगभग

05.00 मैं, वह प्रकृति की पुकार का जवाब देने के लिए बाहर गई थी। उस समय उनके बहनोई ठाकुर दास, बेटे अखिलेश और कमलेश, बेटी उर्मिला और सास किसियाबाई घर पर सो रहे थे। जब वह लगभग 10 मिनट के बाद लौटी, तो उसने अपीलार्थी को कुल्हाड़ी से लैस अपने घर से बाहर निकलते देखा। उसे किसी गड़बड़ी का संदेह था। जब वह घर में घुसी तो उसने अपने बहनोई ठाकुर दास को बाहर के कमरे में मृत पड़ा देखा। उसकी गर्दन काट दी गई थी। जब वह आंगन में आई तो उसने अपने बेटे अखिलेश को मृत देखा, जिसकी गर्दन और सिर पर चोटें थीं। उसने कहा कि उसका बेटा कमलेश और बेटी उर्मिला अपीलार्थी को अपने चाचा और भाई पर हमला करते देख गुलाब के घर गए थे। वे दोनों आए और उसे सूचित किया कि ठाकुर दास और अखिलेश पर अपीलार्थी ने हमला किया था। उसे संदेह था कि अपीलार्थी चला गया था मैदान की ओर और इसलिए, वह अपीलार्थी के पीछे मैदान की ओर चली गई। उसने अपीलार्थी को अपने पति देवकी प्रसाद पर कुल्हाड़ी से हमला करते देखा। जब उसने आरोपी को मृतक पर हमला करने से रोकने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे जाने के लिए कहा और उसे धमकी दी कि उसका भी वही हाल होगा। उसने कहा कि जब वह घर लौट रही थी, तो उसने

पी. डब्ल्यू.-7-राकेश को देखा। इसके बाद पीडब्लू-4-राममिलान, पीडब्लू-5-खिल्लू पटेल और पीडब्लू-6-कमलेश-2 भी आए। उन्होंने आगे कहा है कि

सबूत है कि मृतक ठाकुर दास 10 साल से अपीलार्थी के साथ रह रहा था। हालाँकि, अपीलार्थी ने ठाकुर की भूमि की माँग करना शुरू कर दिया

दास और उसका ट्रैक्टर। इस प्रकार, अपीलार्थी ने ठाकुर दास को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। इसके बाद ठाकुर दास मृतक देवकी प्रसाद के परिवार के साथ रहने लगे। उसने कहा है कि अपीलार्थी ने सोचा कि ठाकुर दास की संपत्ति देवकी प्रसाद के परिवार के पास आएगी और इसलिए, अपीलार्थी ने उसके बहनोई, उसके पति और बेटे पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। पीडब्लू-1 की विस्तार से जांच की गई है। हालाँकि, लंबी प्रतिपरीक्षा के बावजूद, जहाँ तक घटना का संबंध है, उसके साक्षय को चुनौती नहीं दी गई है।

23. पीडब्लू-2-घटना के समय उर्मिला लगभग 11-12 वर्ष की थी। उसे प्रारंभिक प्रश्न पूछने के बाद, ट्रायल जज ने पाया कि वह

वे प्रश्नों को समझने और उनका उत्तर देने में सक्षम थे और इस तरह, उनका बयान उन्हें शपथ दिलाए बिना दर्ज किया गया था।

24. उसने कहा कि घटना के दिन, जब उसकी माँ प्रकृति की पुकार का जवाब देने गई, तो वह घर का काम कर रही थी।

उसने 'धाम धाम' की आवाज़ सुनी और सोचा कि यह कुत्ते की आवाज़ हो सकती है। वह उस जगह की ओर गई जहाँ से आवाज़ आ रही थी और देखा कि अपीलार्थी मृतक पर कुल्हाड़ी से हमला कर रहा था। उनके भाई अखिलेश आंगन में सो रहे थे। उसने उसे जगाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं उठा। अपीलार्थी कुल्हाड़ी लेकर आंगन में आया और अखिलेश पर हमला करने लगा। वह डर गई और इसलिए पी. डब्ल्यू.-6-कमलेश-II के घर चली गई। उसका भाई कमलेश (पीडब्लू-3) भी जाग गया था। उन्होंने अखिलेश को जगाने की भी कोशिश की, लेकिन वे नहीं उठे। अपीलार्थी ने कमलेश (पीडब्लू-3) को भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कमलेश (पीडब्लू-3) उर्मिला के साथ कमलेश-2 के घर भाग गया। उसने आगे कहा कि उसके बाद उसकी माँ आई।

उसने घटना की जानकारी अपनी मां को दी। इसके बाद, उसकी माँ खेत में चली गई। उसने कहा कि उसकी माँ ने अपीलार्थी को मृतक पर हमला करते देखा।

25. इस प्रकार पीडब्लू-1-किरण पटेल के साक्षय से यह स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपीलार्थी को मृतक देवकी पर हमला करते देखा है प्रसाद। पीडब्लू-2-उर्मिला और पीडब्लू-3-कमलेश के साक्षय से यह और स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपीलार्थी को मृतक ठाकुर दास और मृतक अखिलेश पर हमला करते देखा है। इन तीन गवाहों के साक्षय से यह भी पता चलता है कि पीडब्लू-1 के मैदान से आने के तुरंत बाद, उन्हें पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 द्वारा ठाकुर दास और अखिलेश पर अपीलार्थी द्वारा हमले के बारे में सूचित किया गया था। इन तीन गवाहों की गवाही की अन्य गवाहों द्वारा विधिवत पुष्टि की जाती है। पीडब्लू-4 राममिलान श्यामबिहारी के पुत्र हैं। श्यामबिहारी मृतक ठाकुर दास, मृतक देवकी प्रसाद और अपीलार्थी का एक अन्य भाई है।

भागचंद्र। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि घटना के दिन जब वह सुबह करीब साढ़े पांच बजे बाहर जा रहे थे, तो उनकी चाची किरण पटेल मार डाला, मार डाला चिल्ला रही थीं। जब वह अपनी चाची किरण पटेल के पास गए तो उन्होंने देखा कि घर के अंदर ठाकुर दास और अखिलेश मृत पड़े थे। जब वह खेत में गए तो उन्होंने देवी प्रसाद को ट्रैक्टर के सामने मृत पड़ा देखा। उन्होंने कहा कि किरण ने उन्हें घटना के बारे में सूचित किया। यह गवाह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पीडब्लू-1 के साथ पुलिस स्टेशन गया था। इस गवाह से लंबी जिरह भी की गई है। प्रतिपरीक्षा में कुछ भी हानिकारक नहीं पाया गया है।

यह भागचंद्र बनाम। मध्य प्रदेश राज्य [बी. आर. गवई, जे.]

गवाह एक अर्थ में एक तटस्थ गवाह होगा क्योंकि अपीलार्थी और मृतक दोनों के साथ उसका संबंध समान स्तर का है। पीडब्लू-1 ने तुरंत उसे घटना के बारे में बताया था और उसने

एफ. आई. आर. दर्ज कराने के लिए उसके साथ गया।

26. पी. डब्ल्यू.-5-खिल्लू पटेल की भी यही गवाही है।

27. पीडब्लू-6-कमलेश-2 भी गवाहों, मृतक और अपीलार्थी से संबंधित है। उन्होंने कहा कि घटना की तारीख के आसपास

04.00 वह प्रकृति की पुकार का जवाब देने गया था। लौटते समय उन्हें अपने मोबाइल पर एक संदेश मिला और उसी रोशनी में उन्होंने अपीलार्थी को अपनी ओर भागते देखा। अपीलार्थी से यह पूछने पर कि वह वहाँ क्या कर रहा था, अपीलार्थी ने कहा, "मैंने सोचा कि आप ठाकुर दास हैं।"

उस समय अपीलार्थी के पास कुल्हाड़ी थी। इसके बाद, पीडब्लू 6 घर आया और आराम कर रहा था। लगभग 05.00-05.30 बजे, देवकी प्रसाद के बच्चे उर्मिला (पीडब्लू-2) और अखिलेश (पीडब्लू-3) उनके पास आए। दोनों डर गए और उन्हें बताया कि भागचंद्र चाचा ने ठाकुर दास और अखिलेश पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। उन्होंने आगे कहा कि वह भी डर गए थे क्योंकि वह अकेले थे और कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि इस बीच किरण भाबी आई थीं और उन्होंने घटना की जानकारी दी थी। 28. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि ये सभी गवाह एक-दूसरे की उपस्थिति स्थापित करते हैं। पीडब्लू-1-किरण पटेल ने पीडब्लू-4-राममिलान, पीडब्लू-5-खिल्लू पटेल और पीडब्लू-6-कमलेश-2 की उपस्थिति के बारे में बताया और उनके तुरंत मौके पर आने के बारे में बताया।

घटना। पीडब्लू 4,5 और 6 ने उस पहलू में पीडब्लू-1 की गवाही की पुष्टि की। पीडब्लू-2-उर्मिला और पीडब्लू-3-कमलेश ने अपीलार्थी द्वारा मृतक ठाकुर दास और अखिलेश पर हमला करने और कमलेश-2 के घर की ओर भागने और उसे इसके बारे में सूचित करने की घटना के बारे में बताया। पीडब्लू-6 ने भी पीडब्लू 1,2 और 3 के इस संस्करण की पुष्टि की।

29. जहाँ तक पीडब्लू-7-राकेश के साक्षय का संबंध है, हम पाते हैं कि उक्त गवाह का आचरण कुछ हद तक गलत प्रतीत होता है। अप्राकृतिक। उन्होंने कहा कि घटना को देखने के बाद वे वहाँ गए थे

अपने दोस्त को देखने के लिए मोटरसाइकिल पर एक और गाँव। वहाँ से वे महाराजपुर के अस्पताल गए थे। उसके बाद, वह लगभग 10.00 पर घर आया।

10.30 मैं। हालाँकि, पुलिस गाँव में मौजूद थी, लेकिन उसने उन्हें घटना के बारे में सूचित नहीं किया। स्वयं उन्होंने कहा कि उन्होंने घटना के बारे में कमलेश-द्वितीय को सूचित कर दिया था। इसलिए हम पाते हैं कि यह नहीं होगा

उसकी गवाही पर भरोसा करना उचित है। हालाँकि, भले ही पीडब्लू-7 की गवाही को छोड़ दिया गया हो, हम पाते हैं कि पीडब्लू 1 से 6 [2021] 9 एस. सी. आर. की नेत्र संबंधी गवाही।

अभियोजन पक्ष के मामले को उचित संदेह से परे स्थापित करें कि यह अपीलार्थी है जिसने मृतक व्यक्तियों पर हमला किया था।

30. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन पीडब्ल्यू के साक्षय में मामूली विसंगतियां हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। कृष्ण मास्टर

और अन्य ':

" 15. मामले में जांचे गए गवाहों के साक्षय की सराहना करने से पहले, मौखिक साक्षय की सराहना के लिए मानदंडों का उल्लेख करना शिक्षाप्रद होगा। एक गवाह के साक्षय की सराहना करते समय, दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि क्या गवाह के साक्षय को समग्र रूप से पढ़ा जाए तो इसमें सच्चाई का घेरा प्रतीत होता है। एक बार जब यह धारणा मिल जाती है, तो यह निस्संदेह आवश्यक है।

ताकि न्यायालय साक्षय की अधिक विशेष रूप से समग्र रूप से साक्षय में बताई गई कमियों, कमियों और दुर्बलताओं को ध्यान में रखते हुए जांच करे और यह पता लगाने के लिए उनका मूल्यांकन करे कि क्या यह साक्षय के सामान्य सार के खिलाफ है और क्या साक्षय का पूर्व मूल्यांकन इसे विश्वास के अयोग्य बनाने के लिए हिलाया गया है। तुच्छ मामलों पर मामूली विसंगतियां मामले के मूल को नहीं छूती हैं,

यहाँ या वहाँ साक्षय से संदर्भ से फाड़े गए वाक्यों को महत्व देते हुए अति-तकनीकी दृष्टिकोण जाँच अधिकारी द्वारा की गई किसी तकनीकी त्रुटि के लिए मामले की जड़ तक नहीं जाना सामान्य रूप से समग्र रूप से साक्षय को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा।

16. यदि जिस न्यायालय के समक्ष गवाह साक्षय देता है, उसे गवाह द्वारा दिए गए साक्षय के सामान्य सार के बारे में राय बनाने का अवसर मिलता है, तो जिस अपीलीय न्यायालय को यह लाभ नहीं था, उसे निचली अदालत द्वारा साक्षय की सराहना को उचित महत्व देना होगा और जब तक कि कारण भारी न हों।

और दुर्भावनापूर्ण, अपीलीय न्यायालय के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह तुच्छ विवरणों के मामले में भिन्नताओं या दुर्बलताओं के आधार पर साक्षय को अस्वीकार करे। पुलिस के बयानों में मामूली चूक

इन्हें कभी भी घातक नहीं माना जाता है। पुलिस के समक्ष गवाहों द्वारा दिए गए बयान संक्षिप्त बयान होते हैं और अदालत में सबूत के स्थान पर नहीं हो सकते हैं। छोटी/छोटी चूक अदालत के इस निष्कर्ष को सही नहीं ठहराएगी कि संबंधित गवाह झूठे हैं। अभियोजन पक्ष के साक्षय से पीड़ित हो सकते हैं

9 (2010) 12 एस. सी. सी. 324 भागचंद्र बनाम।

मध्य प्रदेश राज्य [बी. आर. गवई, जे.]

यहाँ विसंगतियाँ और वहाँ विसंगतियाँ हैं, लेकिन यह एक

विषय का या उसके महत्वहीन पहलुओं से संबंधित। में
पूर्व मामले में, बचाव पक्ष को लाभ लेने में उचित ठहराया जा सकता है

साक्षय में प्राप्त विसंगतियों का। लेकिन बाद में,
इसके लिए ऐसा कोई लाभ उपलब्ध नहीं हो सकता है।

17. गवाहों के बयान में हमेशा सामान्य होता है
विसंगतियाँ, चाहे वे कितनी भी ईमानदार और सच्ची क्यों न हों।

ये विसंगतियाँ अवलोकन की सामान्य त्रुटियों के कारण होती हैं।

समय के अंतराल के कारण स्मृति की सामान्य त्रुटियाँ, मानसिक कारण से
घटना के समय स्वभाव, आघात और भय और

जीवन के लिए खतरा। ऐसा अक्सर नहीं है कि पहले में सुधार हुआ है।

अभियोजन मामला, हालांकि मूर्खतापूर्ण। इसलिए यह कर्तव्य है कि
झूठ को सच से अलग करने के लिए अदालत। इसकी छान-बीन में

सबूत, अदालत को भूसे को अलग करने का प्रयास करना पड़ता है

हर मामले में अनाज और इस प्रयास को नहीं छोड़ा जा सकता है

इस आधार पर कि मामला हैरान करने वाला है जब तक कि सबूत वास्तव में नहीं है
इतना भ्रमित या विरोधाभासी कि प्रक्रिया उचित रूप से नहीं हो सकती है

निष्पादित किया। इन सिद्धांतों के आलोक में, इस न्यायालय को करना होगा
यह निर्धारित करें कि क्या इसमें चश्मदीद गवाहों के साक्षय की जांच की गई है

मामला अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करता है।

[जोर दिया
गया]

31. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह है

क्या गवाह के साक्षय को समग्र रूप से पढ़ा जाता है

सत्य की अंगूठी। यह माना गया है कि मामूली मामलों पर मामूली विसंगतियां मामले के मूल को नहीं छूती हैं, अति-तकनीकी दृष्टिकोण अपनाते हुए साक्षय से यहाँ या वहाँ संदर्भ से फाड़े गए वाक्य, आम तौर पर साक्षय को समग्र रूप से अस्वीकार करने की अनुमति नहीं देंगे। यह आयोजित किया गया है

कि अभियोजन पक्ष के साक्षय यहाँ विसंगतियों और वहाँ विसंगतियों से पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन यह एक ऐसी कमी है जिससे कोई भी आपराधिक मामला मुक्त नहीं है। यह देखना महत्वपूर्ण है कि क्या वे

विसंगतियाँ मामले की जड़ तक जाती हैं या महत्वहीन से संबंधित होती हैं

उसके पहलू। यह माना गया है कि अवलोकन की सामान्य त्रुटियों, समय बीतने के कारण स्मृति की सामान्य त्रुटियों, मानसिक स्वभाव, सदमे और आतंक [2021] के कारण हमेशा सामान्य विसंगतियां होती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

32. इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्षय में मामूली विसंगतियां नहीं हैं ऐसी प्रकृति जो इस न्यायालय को उनकी गवाही पर अविश्वास करने के लिए राजी करे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गवाह देहाती ग्रामीण हैं और उनके बयानों में कुछ विसंगतियां होना तय है।

33. इस संबंध में, कृष्ण मास्टर (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित होगा:

" 23. मामले के रिकॉर्ड से पता चलता है कि इस गवाह झाबबुलाल से काफी देर तक जिरह की गई थी। उन्हें 31 पृष्ठों की कठोर प्रतिपरीक्षा का सामना करना पड़ा। इस गवाह की गवाही को पढ़ने पर जो पहला और दृढ़ प्रभाव पड़ता है, वह यह है कि वह एक देहाती गवाह है। एक देहाती गवाह, जिसे एक साथ कई दिनों तक थकाऊ, कर लगाने और थकाऊ जिरह का सामना

करना पड़ता है, भ्रमित हो जाता है और कुछ असंगत बयान देता है। कुछ विसंगतियाँ होने के लिए बाध्य हैं यदि

गवाह से कई दिनों तक जिरह की जाती है। इसलिए, एक देहाती गवाह के साक्षय में देखी गई विसंगतियों को उड़ाया नहीं जाना चाहिए, जिसकी कड़ी जिरह की जाती है

अनुपात से बाहर। ऐसा करने का अर्थ है ग्रामीण जीवन की कठोर वास्तविकताओं को नजरअंदाज करना और अपराध करने वाले अभियुक्तों को अनुचित लाभ देना।

जघन्य अपराध। 24.

एक देहाती गवाह के साक्षय की सराहना का मूल सिद्धांत जो शिक्षित नहीं है और समाज के एक गरीब वर्ग से आता है, यह है कि ऐसे गवाह के साक्षय की समग्र रूप से सराहना की जानी चाहिए। एक शिक्षित गवाह की तुलना में देहाती गवाह से घटना के हर छोटे से विवरण और जिस तरह से घटना हुई थी, उसे याद रखने की अपेक्षा नहीं की जाती है, विशेष रूप से जब समय बीतने के बाद उसका साक्षय दर्ज किया जाता है। इसके अलावा, एक गवाह को अपने करीबी रिश्तेदार (ओं) की असामयिक मृत्यु के सदमे का सामना करना पड़ता है। इसलिए अदालत को इन सभी प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

एक देहाती गवाह के साक्षय की सराहना करते हुए कारक "।

34. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि देहाती गवाहों के मामले में, कुछ विसंगतियां और विसंगतियां -

पाया जा सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गवाहों के साक्षय में विसंगतियों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने का अर्थ है भागचंद्र बनाम की उपेक्षा करना।

मध्य प्रदेश राज्य [बी. आर. गवई, जे.]

ग्रामीण जीवन की कठोर वास्तविकताएँ और अभियुक्त को अनुचित लाभ देते हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे गवाहों के साक्षय की समग्र रूप से सराहना की जानी चाहिए। एक देहाती गवाह से घटना के हर छोटे से विवरण और जिस तरह से घटना हुई थी, उसे याद रखने की उम्मीद नहीं की जाती है। इसके अलावा, एक गवाह को अपने करीबी रिश्तेदारों की असामयिक मृत्यु के सदमे का सामना करना पड़ता है। गवाहों के साक्षय को समग्र रूप से देखने पर, हमारा विचार है कि उनका साक्षय ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद है।

35. यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि गवाहों की प्रत्यक्ष गवाही अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करती है, हम अपीलार्थी की अन्य दलीलों पर आते हैं। जहाँ तक अपीलार्थी का यह तर्क है कि चिकित्सा साक्षय अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करता है, इस मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करना उचित होगा।

कृष्णन और एक अन्य (ऊपर) का मामला:

" 18. डॉ. मुथुस्वामी (पीडब्लू 7) और डॉ. अब्बास अली (पीडब्लू 8) के साक्षय किसी भी तरह से नेत्र साक्षय के विपरीत नहीं हैं। किसी भी स्थिति में, नेत्र साक्षय ठोस, विश्वसनीय और

विश्वसनीय, मामूली भिन्नता, यदि कोई हो, तो चिकित्सा साक्षय के साथ है किसी भी परिणाम से नहीं।

20. इस दलील पर आते हुए कि चिकित्सीय साक्षय नेत्र संबंधी साक्षय से भिन्न है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रत्यक्षदर्शियों के खाते को बाहर करने के लिए चिकित्सीय गवाहों के काल्पनिक उत्तरों को अनुचित प्रधानता देना गलत होगा, जिसका स्वतंत्र रूप से परीक्षण किया जाना था और जिसे "परिवर्तनीय" के रूप में नहीं माना जाना था।

"स्थिरांक" के रूप में चिकित्सा साक्षय।

21. यह सामान्य बात है कि जहां चश्मदीद गवाहों का विवरण विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया जाता है, वैकल्पिक संभावनाओं की ओर इशारा करने वाली चिकित्सा राय को निर्णायक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। गवाह, जैसा कि बेंथम ने कहा, न्याय की आंखें और कान हैं। इसलिए परीक्षण प्रक्रिया की गुणवत्ता का महत्व और प्रधानता है। प्रत्यक्षदर्शियों के खाते को इसकी विश्वसनीयता के लिए सावधानीपूर्वक स्वतंत्र मूल्यांकन और मूल्यांकन की आवश्यकता होगी, जिसे इस तरह की विश्वसनीयता के परीक्षण के लिए एकमात्र कसौटी के रूप में चिकित्सा साक्षय सहित किसी अन्य साक्षय को बनाने के लिए प्रतिकूल पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। साक्षय को इसकी अंतर्निहित स्थिरता और कहानी की अंतर्निहित संभावना के लिए परखा जाना चाहिए; अन्य गवाहों के खाते के साथ एकरूपता को विश्वसनीय माना जाना चाहिए; निर्विवाद तथ्यों के साथ एकरूपता, गवाहों का "श्रेय"; गवाह बॉक्स में उनका प्रदर्शन; उनकी शक्ति सर्वोच्च अदालत की रिपोर्ट

अवलोकन आदि। तब ऐसे साक्षय का संभाव्य मूल्य संचयी प्रमाण के लिए पैमाने में रखे जाने के योग्य हो जाता है।

मूल्यांकन "।

36. जैसा कि पहले ही यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, चश्मदीद गवाहों का नेत्र साक्षय ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद है। इसके अलावा,

पीडब्लू 1,2 और 3 की गवाही में मौखिक संस्करण की चोटों से विधिवत पुष्टि होती है जैसा कि मृतक व्यक्तियों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दिखाया गया है। अत: इस संबंध में तर्क अस्वीकार किए जाने योग्य है। 37. अपीलार्थी का हमला अन्य परिस्थितियों पर है जैसे कि साक्षय अधिनियम की धारा 27 के तहत कुल्हाड़ी की वसूली नहीं की जा रही है।

प्रासंगिक है, क्योंकि यह अपराध में उपयोग के लिए स्थापित नहीं किया जा रहा है और न ही सीरोलॉजी रिपोर्ट, आदि में। 38. चूंकि वर्तमान मामला प्रत्यक्ष साक्षय का मामला है, भले ही अभियोजन पक्ष अन्य दोषपूर्ण परिस्थितियों को साबित करने में विफल रहा हो

उचित संदेह से परे, हमारे विचार में, अभियोजन मामले पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्तमान मामले में, एक अन्य बात जो ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि घटना के तुरंत बाद, पीडब्लू-1 द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जाती है, जिसके साथ पीडब्लू-4 भी था। एफ. आई. आर. अभियोजन पक्ष के गवाहों के नेत्र साक्षय की पूरी तरह से पुष्टि करती है।

39. मामले के उस दृष्टिकोण में, हमारा विचार है कि साक्षय के पुनर्मूल्यांकन पर भी, यह नहीं कहा जा सकता है कि मुकदमा

अदालत ने अपीलार्थी और उच्च न्यायालय को दोषी ठहराकर इसकी पुष्टि करने में गलती की है।

40. यह हमें वाक्य के सवाल के साथ छोड़ देता है। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या वर्तमान मामले में मृत्युदंड है

उचित है या नहीं।

41. हाल ही में, यह अदालत मोहम्मद के मामले में। मन्नान उर्फ अब्दुल मन्नान बनाम। बिहार राज्य ", पहले के निर्णयों पर विचार करने के बाद

बचन सिंह बनाम के मामलों में वर्तमान मुद्दे पर इस न्यायालय का। पंजाब राज्य 1 1 और माची सिंह और अन्य बनाम। की स्थिति पंजाब 1 2, इस प्रकार देखा गया:

" 72. ऊपर उल्लिखित निर्णयों से जो कानून का प्रस्ताव सामने आता है, वह अपने आप में मौत की सजा है, सिवाय इसके कि

10 (2019) 16 एस. सी. सी. 584

11 1 (1980) 2 एससीसी 684

12 (1983) 3 एस. सी. सी. 470 भागचंद्र बनाम।

मध्य प्रदेश राज्य [बी. आर. गवई, जे.]

दुर्लभतम मामलों में, जिनके लिए विशेष कारण दर्ज किए जाने हैं, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (3) में अनिवार्य है। यह तय करने में कि क्या कोई मामला दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में आता है, क्रूरता, और/या अपराध की वीभत्स और/या जघन्य प्रकृति एकमात्र मानदंड नहीं है। यह केवल अपराध नहीं है जिसे न्यायालय को ध्यान में रखना है, बल्कि अपराधी, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि आदि को भी ध्यान में रखना है। पुरस्कार प्रदान करना

मृत्युदंड एक अपवाद है, और आजीवन कारावास नियम है।

42. इस पीठ ने हाल ही में मोफिल खान और झारखंड के एक अन्य राज्य के मामले में इस प्रकार टिप्पणी की है:

" 8. कम करने वाली परिस्थितियों में से एक अभियुक्त के सुधार और पुनर्वास की संभावना है। राज्य का कर्तव्य है कि वह यह स्थापित करने के लिए सबूत जुटाए कि इसकी कोई संभावना नहीं है

अभियुक्त का सुधार और पुनर्वास। फांसी की सजा

थोपा नहीं जाना चाहिए, दुर्लभतम मामलों को छोड़कर जब

कम सजा का वैकल्पिक विकल्प निर्विवाद है।

पूर्वनिर्धारित (देखें): बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी

684) . यह संतुष्ट करने के लिए कि सजा का उद्देश्य सुधार है

असंभव, आजीवन कारावास को पूरी तरह से व्यर्थ बताते हुए, न्यायालय को इस बात के स्पष्ट सबूत को उजागर करना होगा कि दोषी किसी भी प्रकार की सुधारात्मक और पुनर्वास योजना के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है। यह विश्लेषण तभी सख्ती से किया जा सकता है जब न्यायालय ध्यान केंद्रित करे।

अपराधी से संबंधित परिस्थितियों के साथ-साथ अन्य परिस्थितियों पर (देखें - संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम।

महाराष्ट्र राज्य (2009) 6 एससीसी 498)। राजेन्द्र में

प्रल्हादराव वासनिक बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2019) 12 एससीसी

460 , इस न्यायालय ने मृत्युदंड की पुष्टि करने वाले इस न्यायालय के निर्णय की समीक्षा की और निम्नानुसार टिप्पणी की:

" 45. इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा निर्धारित कानून स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से यह आदेश देता है कि किसी दोषी के समाज में सुधार और पुनर्वास की संभावना (संभावना या असंभवता या असंभवता नहीं) पर अदालतों द्वारा मौत की सजा देने से पहले गंभीरता से और ईमानदारी से विचार किया जाना चाहिए।

यह "विशेष कारणों" के आदेशों में से एक है। धारा 354 (3) सी. आर. पी. सी. की आवश्यकता और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति के जीवन को खत्म करना शामिल है। को।

आपराधिक) सं. आपराधिक अपील में No.1795/2009 दिनांक 26.11.2021 [2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस आदेश को प्रभावी बनाना अभियोजन पक्ष का दायित्व है

साक्षय के माध्यम से अदालत को यह साबित करने के लिए कि संभावना यह है कि दोषी को सुधार या पुनर्वास नहीं किया जा सकता है। यह अन्य बातों के साथ-साथ, जेल में उसके आचरण के बारे में सामग्री, जेल के बाहर उसके आचरण, यदि वह कुछ समय से जमानत

पर है, तो उसके मानसिक बनावट के बारे में चिकित्सा साक्षय, उसके परिवार के साथ संपर्क आदि को रिकॉर्ड में लाकर प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह, दोषी पेश कर सकता है

इन मुद्दों पर भी सबूत "। " " "

43. वर्तमान मामले में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निचली अदालत ने अपीलार्थी को दोषी ठहराया था और उसी पर मौत की सजा सुनाई थी

एक दिन। निचली अदालत के फैसले से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अपीलार्थी को सजा के सवाल पर सुनवाई का सार्थक समय और वास्तविक अवसर दिया गया था। निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय के फैसले से यह प्रतीत नहीं होता है कि निचली अदालतों ने कम करने वाली और बिगड़ती परिस्थितियों का एक तुलनपत्र तैयार किया है। निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने केवल अपराध को ध्यान में रखा है, लेकिन अपराधी, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि आदि को ध्यान में नहीं रखा है। इस मोड़ पर, राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। महाराष्ट्र राज्य 1 4:

" 47. सुधार, पुनर्वास और

दोषी के समाज में पुनः एकीकरण पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। जब तक बचन सिंह [बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1980) 2 एस. सी. सी. 684: 1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 580], द्वारा दिया गया जोर

अदालतें मुख्य रूप से अपराध की प्रकृति, इसकी क्रूरता और गंभीरता पर आधारित थीं। बचन सिंह [बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य,

(1980) 2 एससीसी 684: 1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 580] ने सजा देने की प्रक्रिया को परिप्रेक्षय में रखा और विचार करने की आवश्यकता की शुरुआत की। दोषी का सुधार या पुनर्वास। संविधान पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के बावजूद, कई हैं

उदाहरण, जिनमें से कुछ का उल्लेख किया गया है

बरियार में [संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र, (2009) 6 एससीसी 498: (2009) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1150] और संगीत बनाम. हरियाणा राज्य [संगीत बनाम। हरियाणा राज्य, (2013) 2 एससीसी 452: (2013) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 611] जहाँ अपराध को प्रधानता देने और अपराधी पर विचार करने की प्रवृत्ति है।

कुछ हद तक माध्यमिक तरीके से। जैसा कि देखा गया है।

संगीत में [संगीत बनाम। हरियाणा राज्य, (2013) 2 एससीसी 452: (2013) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 611] "सजा सुनाने की प्रक्रिया में अपराध और अपराधी दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।" इसलिए, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपराधी, चाहे वह कितना भी निर्दयी क्यों न हो, फिर भी एक इंसान है और अपने अपराध के बावजूद गरिमापूर्ण जीवन का हकदार है। इसलिए, यह अभियोजन पक्ष और अदालतों को निर्धारित करना है कि क्या ऐसा व्यक्ति, इसके बावजूद

उसके अपराध में सुधार और पुनर्वास किया जा सकता है। इस जानकारी को प्राप्त करना और उसका विश्लेषण करना निश्चित रूप से एक आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी इसे किया जाना चाहिए। पुनर्वास की प्रक्रिया भी सरल नहीं है क्योंकि इसमें दोषी का समाज में सामाजिक पुनर्एकीकरण शामिल है। बेशक, उपलब्ध कराई गई किसी भी जानकारी और रिकॉर्ड पर साक्षय के साथ विशेषज्ञों द्वारा इसके विश्लेषण के बावजूद, वहाँ

ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां दोषी का सामाजिक पुनर्एकीकरण संभव न हो। यदि ऐसा होना चाहिए, तो एक लंबा विकल्प
कारावास की अवधि अनुमत है।

और पुनर्स्थापित किया गया। न केवल अपराध बल्कि अपराधी, उसकी मानसिक स्थिति और उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को भी ध्यान में रखना हमारा कर्तव्य है। मृतक और साथ ही अपीलार्थी देहाती ग्रामीण हैं। एक संपत्ति विवाद में, अपीलार्थी ने अपनी दो संपत्तियों को समाप्त कर दिया है। भाई-बहन और एक भतीजा। राज्य ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं रखा है कि सुधार या सुधार के संबंध में कोई संभावना नहीं है।

दोषी का पुनर्वास। अपीलार्थी ने अभिलेख में रखा है कि अपीलार्थी के पुत्र प्रहलाद पटेल और भतीजे राजेंद्र पटेल के शपथ पत्र

अपीलार्थी की और जेल अधीक्षक, केंद्रीय जेल, जबलपुर की रिपोर्ट भी। अपीलार्थी ग्रामीण और आर्थिक रूप से गरीब पृष्ठभूमि से आता है। कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। अपीलार्थी को कठोर अपराधी नहीं कहा जा सकता है। यह अपीलार्थी द्वारा किया गया पहला अपराध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक जघन्य अपराध है। जेल अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र से पता चलता है कि अपीलार्थी का आचरण

कारावास संतोषजनक रहा है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी के सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है। कम सजा के वैकल्पिक विकल्प को बंद करना और मौत की सजा को अनिवार्य बनाना।

45. इसलिए हम अपीलार्थी पर लगाई गई सजा को मृत्युदंड से आजीवन कारावास में बदलने के लिए इच्छुक हैं। हालाँकि, [2021] 9 एस. सी. आर. को ध्यान में रखते हुए।

अपने दो भाई-बहनों और एक भतीजे की नृशंस हत्या, हमारा विचार है कि अपीलार्थी 30 साल के कठोर कारावास का हकदार है।

46. तदनुसार, अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। धारा 302,201 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि और 506 - आई. पी. सी. के बी. की पुष्टि की गई है। हालांकि, अपीलार्थी को दी गई मौत की सजा को 30 साल की अवधि के लिए आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है।

47. निर्णय देने से पहले, हमें अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एन. हरिहरन और श्रीमती द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता की सराहना करनी चाहिए। स्वरूपमा चतुर्वेदी, विद्वान सहायक महाधिवक्ता, की ओर से पेश हुईं

उत्तरदाता-राज्य।

अपीलों

को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान